GCC पॉलिसी को मंजूरी, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में भी बनेंगे सेंटर

उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 2 लाख से ज़्यादा नौकरियों के रास्ते

AI Image

कैबिनेट फैसले

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : प्रदेश के युवाओं को ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर(GCC) पॉलिसी, 2025 को मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के तहत निवेश करने वाली कंपनियां प्रदेश के दो लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगी। ये नौकरियां आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनैंस, कंसल्टेंसी, इंजिनियरिंग जैसे सेक्टर में आएंगी। GCC नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में विकसित किए जाएंगे।

पॉलिसी से निवेशकों को मिलेंगी ये रियायतें

पॉलिसी के तहत राज्य सरकार इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को कई तरह की रियायतें भी देगी। इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन खरीद पर रियायत के साथ-साथ पूंजी, ब्याज, संचालन व्यय, वेतन पत्र, भर्ती पर सब्सिडी जैसी रियायतें मुहैया करवाई जाएंगी। ऑपरेशनल सब्सिडी के तहत किराया, बिजली, वैंडविड्थ और डेटा सर्विस पर 20% सब्सिडी, ₹80 करोड़ तक की सहायता प्राप्त होगी। वहीं, पेरोल सब्सिडी के तहत यूपी निवासी कर्मचारियों के वेतन पर ₹1.80 लाख तक प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। फ्रेशर और इंटर्न सब्सिडी के तहत नए ग्रैजुएट्स को भर्ती करने पर ₹20,000 और इंटर्नशिप पर ₹5,000 प्रति महीने तक की सहायता प्राप्त होगी। ईपीएफ, ट्रेनिंग और R&D अनुदान के तहत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं, भूमि व स्टांप ड्यूटी में छूट के साथ ही SGST की प्रतिपूर्ति भी इसमें शामिल है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इन्वेस्ट यूपी के जरिए सारी स्वीकृतियां ऑनलाइन सरल होंगी।

आउटसोर्स के लिए भारत आ रहीं MNC

प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में साइंस, लॉ, इंजिनियरिंग समेत बहुत सारे सेक्टरों का टैलंट मौजूद है। कम पैसे में बेहतर क्वॉलिटी का काम लेने के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ऑफशोर डिवेलपमेंट सेंटर यहीं पर स्थापित कर रही हैं। इसे ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहते हैं। इसमें पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर और आईटी आता है, जिसमें मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रॉसेस ऑटोमेशन, एआई संचालित डिवेलपमेंट, साइबर सुरक्षा, इंजिनियरिंग डिवेलपमेंट आते हैं। इंजिनियरिंग डिजाइन का बहुत सारा एलिमेंट बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है और हम काफी सस्ते दामों में और उच्च गुणवत्ता के साथ इस काम कर सकते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनियां यहां आई हैं। उनके सॉफ्टवेयर डिवेलपमिंग का बहुत सारा काम सेंटरों में होगा। उन्होंने बताया कि आज भारत में लगभग 1700 जीसीसी हैं। नोएडा में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 10 हजार सीटर डिवेलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया है। एमएक्यू ने भी 3 हजार सीटर इंजिनियरिंग डिवेलपमेंट सेंटर का सेटअप किया है। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी इन सेंटरों को ले जाने की व्यवस्था करनी है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

- आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए नैफेड से पुष्टाहार की होगी खरीद
- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली में संशोधन को मंजूरी
- राज्य कर विभाग का दर्जा व्यासायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया

सुधरेगी सार्वजनिक यातायात व्यवस्था

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क(स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश में यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस नीति के तहत बस अड्डों और पार्कों की स्थापना के लिए आवेदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आमंत्रित किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा नियामक प्राधिकारी का गठन होगा। नीति के अनुसार, बस अड्डा या पार्क स्थापित करने के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन, आवेदक की वार्षिक नेटवर्थ ₹50 लाख और टर्नओवर ₹2 करोड़ होना अनिवार्य है। आवेदन व्यक्तिगत या कंसोर्टियम के रूप में किए जा सकेंगे। एक आवेदक को प्रदेश में 10 से अधिक, किसी जिले में 2 से अधिक, या एक मार्ग पर 1 से अधिक बस अड्डा/पार्क स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। निजी निवेश से स्थापित बस अड्डों को पहले 10 साल के लिए संचालन अनुमति मिलेगी, जिसे बाद में 10 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। स्वामित्व हस्तांतरण एक वर्ष से पहले नहीं होगा। इस नीति से यातायात व्यवस्था में सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

ये फैसले भी

■ सचिवालय सेवा में विशेष सचिव के आठ पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला वेतन समिति-2016 की सिफारिशों और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर वित्त विभाग ने रखा था। सचिवालय कर्मचारियों के विशेष भत्ते में 25% की वृद्धि को भी मंजूरी मिली है।

■ कैबिनेट ने वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग में भर्ती के लिए अनुभव की अनिवार्यता खत्म कर दी है। पहले बैचलर ऑफ साइंस-ऑप्टोमेट्री के साथ एक साल के अनुभव की शर्त थी, जिसे हटा दिया गया है। साथ ही, संवर्ग के पुनर्गठन के तहत नेत्र परीक्षण अधिकारी के 751 पदों में से 125 पदों को वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पदों में उच्चीकृत करने का फैसला किया गया है।

■ कैबिनेट ने लैब टेक्निशन ग्रेड-1 (ग्रेड वेतन 4,200) का नया स्तर बनाने को मंजूरी दे दी है। इसे 50% सीधी भर्ती व 50% लैब टेक्निशन की पदोन्नति से भरा जाएगा। राज्यपाल सचिवालय, विस व विप सचिवालय में वर्दी भत्तों की राशि में इजाफा किया गया। राज्यपाल सचिवालय के व्यवस्थापक व स्टुवर्ड को 8,000 रुपये तक वर्दी सिलवाकर दी जाएगी। हर दो साल में ये वर्दियां सिलवाई जाएंगी।